फाइल नं0-71-3002(002)/4/2025-03

59/2025/I/923695/2025

प्रेषक,

चन्द्र शेखर मिश्र,

उप सचिव,

उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,

चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,

उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-3 लखनऊ : दिनाँक 30 मार्च, 2025

विषयः- **वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में फेज-3 के मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 में हस्तांरित किये जाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि अवमुक्त किये जाने के संबंध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-एमई/बजट/2024-25/663, दिनांक 19.03.2025 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2024-25 में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत पूंजी पक्ष में फेज-3 के मेडिकल कालेजों के निर्माण कार्य हेतु केन्द्रांश की धनराशि को एस0एन0ए0 में हस्तांरित किये जाने हेतु मानक मद-24-वृहद निर्माण कार्य में संलग्न बी0एम0 प्रपत्र के अनुसार पुनर्विनियोग के माध्यम से प्राविधानित धनराशि रू0 4096.00 लाख (रू0 चालीस करोड़ छियानबे लाख मात्र) अवमुक्त किये जाने की निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है:-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप दिनांक 04 मार्च,2024 यथासंशोधित में उल्लिखित दिशा-निर्देशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) जिस मद से पुनर्विनियोग प्रस्तावित किया गया है, उस मद में अतिरिक्त धनराशि की माँग वित्तीय वर्ष 2024-25 में नहीं की जाएगी।

(3) अवमुक्त धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को डाक घर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) स्वीकृत धनराशि का उपयोग उसी मद में किया जाएगा, जिसके लिए स्वीकृति दी गई है।

(5) स्वीकृत धनराशि का पूर्ण उपभोग वर्तमान वित्तीय वर्ष 2024-25 में दिनांक 31 मार्च, 2025 तक कर लिया जायेगा।

(6) प्रधानाचार्य द्वारा इस योजना के लिए पूर्व में स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र प्राप्त कर यह सुनिश्चित कर लेंगे कि धनराशि का उपयोग नियमानुसार इस

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

योजना हेतु भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार योजना के प्रयोजन पर व्यय किया गया है।

(7) प्रश्नगत धनराशि को स्वीकृत/अवमुक्त कर धनराशि का उपयोग भारत सरकार द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुक्रम में किया जायेगा।

(8) प्रश्नगत प्रकरण में केन्द्रांश/राज्यांश की धनराशि के आंकलन/शुद्धता के सम्बन्ध में स्वंय संतुष्ट हो लेंगे।

(9) प्रायोजना के मूल स्वीकृति आदेश के अंकित शर्तो/प्रतिबन्धों का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 40,96,00,000 (रुपये चालीस करोड़ छियानबे लाख मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2024-25 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 081 लेखाशीर्षक 4210037960101 14 जिला चिकित्सालयों को उच्चीकृत कर मेडिकल कालेजों की स्थापना मानक मद 24 वृहद निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-1/2024/बी-1-294/दस-2024-231/2024, दिनाँक- 04-मार्च, 2024 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

संलग्नक-यथोक्त।

भवदीय,

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव।

संख्या एवं दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा), प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, प्रयागराज।
3. प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 शासन।
4. प्रधानाचार्य/नोडल प्रधानाचार्य, मुख्य चिकित्सा अधीक्षक, जिला चिकित्सालय, बिजनौर, कुशीनगर, सुल्तानपुर, गोण्डा, ललितपुर, लखीमपुर खीरी, चंदौली, बुलन्दशहर, पीलीभीत, औरैया, कानपुर देहात, कौशाम्बी तथा सोनभद्र।
5. प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लो0नि0वि0, लखनऊ।
6. मुख्य अभियन्ता (भवन), लो0नि0वि0, लखनऊ।
7. वित्त नियंत्रक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
8. मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
9. नियोजन अनुभाग-4/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2
10. वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3
11. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(चन्द्र शेखर मिश्र)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।